

स्थापित वर्ष: 2014

महामाहिम राज्यपाल
द्वारा पुरस्कृत संस्था

कृष्णा महाविद्यालय

सम्बद्धता – लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ
बरवर रोड, मोहम्मदी, जनपद-खीरी



संचालित कोर्स: बी.ए. बी.एससी.(मैथ)
बी.एससी. (बायो)

विवरण पुस्तिका



डा. कमलेश कुमार दीक्षित

एम.काम.एम.ए. (अर्थ व समा.शास्त्र) बी.एड.पी-एच.डी.

प्रबन्धक/सचिव

मो. 9450105845

संदेश

कॉलेज का कार्य जहाँ गुणात्मक, उच्च एवं परिपक्व अध्ययन का वातावरण प्रदान करना है, वहीं सृजन हेतु प्रेरणात्मक बौद्धिक क्रियाओं के विकास के लिए भूमि यही तैयार होती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज की नींव रखी गई इसी उद्देश्य हेतु कॉलेज निरन्तर नये आयामों को छू रहा है। कॉलेज में प्रशासनिक भवन पुस्तकालय, वाचनालय, व्याख्यान कक्ष, उद्यान, खेल के लिए समुचित साधन व मैदान आदि उपलब्ध हैं।

पूरी प्रबन्धक समिति की ओर से सभी छात्र/छात्राओं, अध्यापक, अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्य, अभिभावकों व जागरूक समाज से अनुरोध है कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सही दिशा प्रदान करें।

डा. कमलेश कुमार दीक्षित

एम.काम.एम.ए. (अर्थ व समा.शास्त्र) बी.एड.पी-एच.डी.

प्रबन्धक/सचिव

कृष्णा महाविद्यालय

बरवर रोड मोहम्मदी (खीरी)



संदेश

शिक्षा से अमरत्व प्राप्त होता है। शिक्षा किसी भी सभ्य राष्ट्र की प्राण वायु है इसके अभाव में वह स्वतन्त्र होकर भी परतन्त्र है अर्थात वह बिना आत्मा के शरीरवत् है।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित मोहम्मदी नगर केतकी की खुशबू के लिए प्रसिद्ध है परन्तु शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। नगर में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए तो कई विद्यालय हैं। विस्तृत क्षेत्र की दृष्टि से महाविद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात छात्र-छात्राएँ निराश होकर स्कूल की दुनिया छोड़ देते हैं और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में नगर के प्रसिद्ध शिक्षा विद्वद्, दूरदर्शी एवं सम्यक शोध दृष्टि रखने वाले डा० कमलेश कुमार दीक्षित जी ने उच्च शिक्षा में बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को संवारने का संकल्प लिया और मोहम्मदी के शिक्षा के क्षितिज में कृष्णा महाविद्यालय की स्थापना कर नयी ज्ञान रश्मि का उपहार दिया है जो सम्पूर्ण क्षेत्र को ज्ञान से आलोकित कर देगा।

यह महाविद्यालय निश्चय ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

मैं अन्त में यह कामना करता हूँ कि यह महाविद्यालय दिन-प्रति-दिन प्रबुद्ध एवं सभ्य नागरिकों को गढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च एवं गौरवशाली कीर्तिमान स्थापित करे।

भवदीय

डा. निर्देश कुमार वर्मा

एम.ए.(अंग्रेजी) एम.काम.

एम.एड., पी-एच.डी.(शिक्षा)

अध्यक्ष

कृष्णा महाविद्यालय

बरवर रोड, मोहम्मदी-खीरी

माँ सरस्वती की अनुकम्पा व आशीर्वाद से शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी तहसील मोहम्मदी में क्षेत्रीय जनता के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देने के उद्देश्य से कृष्णा शिक्षण समिति मोहम्मदी के सद्प्रयत्नों एवं ठोस वित्तीय व्यवस्था के द्वारा कृष्णा महाविद्यालय, बरवर रोड मोहम्मदी (खीरी) की स्थापना सन् 2014 में की गयी। भूमि व्यवस्था, भवन निर्माण के पश्चात् महाविद्यालय में 2014 से कला संकाय के अर्न्तगत स्नातक कक्षाएँ प्रदेश शासन की स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत प्रारम्भ की गयी, कृष्णा शिक्षण समिति कक्षा 1 से 12 तक श्री कृष्णा इण्टर कॉलेज बरवर रोड मोहम्मदी खीरी में कला व विज्ञान वर्ग से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। नियमित अध्यापन, विद्वान प्राध्यापक मण्डल, नियमित परीक्षाओं का सम्पन्न होना तथा शिक्षणेत्तर गतिविधियों का आयोजन संस्थान की विशेषताएँ रही हैं। कक्षा 10 व 12 में तहसील टापर व जिले में 11 वीं रैंक तक परीक्षार्थी जा चुके हैं। 2018 से बी.एससी. मैथ व वायो की सम्बद्धता हो गयी है और कक्षाएं संचालित हैं।

विद्यालय को वर्तमान स्थिति तक लाने में कृष्णा शिक्षण समिति के पदाधिकारियों व अध्यापकों का योगदान रहा है, वहीं पर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों यथा विधायक श्री एस.पी.सिंह श्री वंशीधर राज आदि समाज हित में निष्ठा रखने वाले लोगों का सहयोग सराहनीय रहा है।

महाविद्यालय को शासन व लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय में प्रवक्तागण कार्यरत हैं। तथा निष्ठावान शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण हैं एवं शासन द्वारा छात्र/छात्राओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु बहुत सी शैक्षणिक व वित्तीय योजनाएँ चलायी जा रही हैं जो उनके व्यक्तित्व को समाज के सम्मुख लाने में सहायक हो सकें। महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर व्यक्तित्व निर्माण में सहायक कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा, जो उन्हें विषम परिस्थितियों के मध्य अनुकूलन में सहयोग कर सकें।

प्रवेश नियम:

1. अनुसूचित जाति अनु. जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को अपने प्रवेश आवेदन के साथ¹ जाति आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. पहले प्रवेश अस्थाई होगा। जब समस्त प्रपत्र एवं शुल्कादि छात्र जमा कर देता है तथा प्राचार्य द्वारा प्रवेश की स्वीकृति दे दी जाती है तब प्रवेश स्थाई माना जायेगा, तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक होगा कि छात्र/छात्रा की विषय व्याख्यानों में उपस्थिति नियमानुसार 75% हो।
4. कालेज परिसर में छात्र को बिना अभिज्ञान पत्र के प्रवेश से मना किया जा सकता है। छात्र को चाहिए कि वह अपना अभिज्ञान पत्र सदैव अपने साथ रखे और कालेज स्टाफ द्वारा मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें।
5. प्रत्येक प्रवेशार्थी कोई भी धन जमा करने पर उसकी रसीद सम्बन्धित लिपिक से अवश्य प्राप्त कर लें तथा उसे एक वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रखे अन्यथा कालेज अभिलेख ही सही माने जायेंगे।
6. पान पुड़िया खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है जिसका सभी छात्र-छात्राओं को पालन करना होगा।
7. एक बार जमा किया गया शुल्क केवल इस कारण लौटाया न जा सकेगा कि छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं रहा है अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र नहीं दे सका या परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है।
8. प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला किसी भी थाने में दर्ज अथवा न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए।
9. महाविद्यालय में श्री कृष्णा इण्टर कॉलेज के छात्र-छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

10. प्रवेश फार्म को क्रय करने से प्रवेश पाने का अधिकार सुनिश्चित नहीं है।
11. प्रवेश प्रथम आगत के आधार पर नियमानुसार होंगे। अतः प्रवेश फार्म यथाशीघ्र शुल्क के साथ जमा कर दें।

12.क) आरक्षण (Veritical Reservation)

1) अनुसूचित जाति (अधिकतम आरक्षण)	21 प्रतिशत
2) अनुसूचित जनजाति (अधिकतम आरक्षण)	2 प्रतिशत
3) अन्य पिछड़ा वर्ग (अधिकतम आरक्षण)	27 प्रतिशत

ख) आन्तरिक आरक्षण

4) महाविद्यालय अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति (अधिकतम आरक्षण)	5 प्रतिशत
5) विकलांगों के लिए (Including 1% for blinds)	
6) स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री के लिए	2 प्रतिशत
7) स्वयं भूतपूर्व सैनिकों के लिए (आश्रितों के लिए देय नहीं होगा)	1 प्रतिशत

नोट: विकलांग वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

संलग्नक:

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र चार (छायाप्रति)
2. इण्टर अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र चार (छायाप्रति)
3. जाति प्रमाण-पत्र एक (छायाप्रति)
4. आय प्रमाण-पत्र एक (छायाप्रति)

नोट: सभी छाया प्रतियों का स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है। अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी दिशा निर्देश:

1. छात्र-छात्रा प्रवेश लेने के बाद छात्रवृत्ति फार्म आन लाइन स्वयं करायेगें।
2. यथासम्भव अपने खातों को राष्ट्रीयकृत शाखाओं में ही खुलवायेंगे, जिससे शासन द्वारा निर्गत छात्रवृत्ति उनके खातों में सीधे स्थानान्तरित की जा सके और किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।
3. अपने खाता संख्या का स्पष्ट रूप से अपने छात्रवृत्ति फार्मों में उल्लेख करें। ये समस्त योजनायें आपके अपने हित में होती हैं।

पुस्तकालय:

1. पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करने हेतु छात्र/छात्रा को अपनी शुल्क रसीद अथवा अभिज्ञान पत्र पुस्तकालय में मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
2. पुस्तकालय की पुस्तकों को निर्गत तिथि से 14 दिन तक छात्र अपने पास रख सकता है। इससे विलम्ब तक रखने पर छात्र प्रतिदिन रु० 1/- के अर्थदण्ड का भागी होगा।
3. छात्रों की सुविधा के लिए रीडिंग रूम की व्यवस्था है।

अनुशासन:

1. विद्यार्थी प्रवेश लेते ही कालेज अनुशासन के अधीन होगा तथा किसी भी कृत्य के लिये जो कालेजप्रतिष्ठा के विपरीत होगा, कालेज के मुख्य अनुशासक अथवा प्राचार्य द्वारा दण्डित किया जायेगा।

2. अभिभावकों को उसके पाल्य के सम्बन्ध में जानकारी देने अथवा विचार-विमर्श हेतु बुलाया जा सकता है। अभिभावक के न आने पर प्राचार्य निर्णय देने हेतु सक्षम होंगे।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपना अभिज्ञान पत्र सदैव अपने पास रखेगा।
4. महाविद्यालय को साफ सुथरा रखना प्रत्येक छात्र/छात्रा का कर्तव्य होगा।
5. मा. सर्वोच्च न्यायालय व राघवन कमेटी के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के आधार पर महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। यदि कोई छात्र-छात्रा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसका तत्काल प्रभाव से निष्कासन कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

परीक्षा सम्बन्धी नियम-निर्देश:

1. प्रत्येक प्रवेशार्थी की कक्षा में उपस्थिति कम से कम 75 % होना अनिवार्य है। इस अर्हता को जो प्रवेशार्थी पूरा नहीं करेगा उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। प्रायोगिक परीक्षा आन्तरिक व बाह्य दोनों में उपस्थित होना अनिवार्य है आन्तरिक प्रायोगिक परीक्षा 1 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक चलती है तथा बाह्य प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय से तारीख मिलने पर करायी जाती है।
2. परीक्षा के दौरान मोबाइल आदि का महाविद्यालय में लाना पूर्णतः वर्जित है। पकड़े जाने पर महाविद्यालय द्वारा सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
3. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल सामग्री पकड़े जाने पर यह कृत्य क्षम्य नहीं है।

सामान्य सूचना:

1. महाविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी स्थिति में प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर दें। विवाद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय का अधिकार प्राचार्य अथवा प्रवेश समिति को होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं/ अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटि पूर्ण अंक-पत्र के आधार पर प्रवेश पाता है। तो जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होगा, उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य माना जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सूचनायें:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ★ फार्म वितरण की तिथि | 1 मई 20 |
| ★ फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि | 31 जुलाई या विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार |
| ★ फीस जमा होने की अन्तिम तिथि | 10 अगस्त 20 या विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार |
| ★ परीक्षा फार्म भरने की तिथि | 31 अगस्त तक |
| ★ कक्षा का संचालन | 1 अगस्त 20 से |

नोट: परीक्षा फार्म छात्र/छात्रा स्वयं भरें ताकि विषय गलत न अंकित हो सके।

संचालित कोर्स

बी.ए.

- 1- हिन्दी साहित्य 2- अंग्रेजी साहित्य 3- संस्कृत 4- समाजशास्त्र 5- शिक्षा शास्त्र
6- चित्र कला 7- गृह विज्ञान 8- इतिहास 9- अर्थशास्त्र 10- राजनीति विज्ञान
11- कोरकोलम/पर्यावरण

बी.एससी. (मैथ)

- 1- भौतिक विज्ञान 2- गणित 3- रसायन विज्ञान 4- कोरकोलम/पर्यावरण

बी.एससी. (बायो)

- 1- रसायन विज्ञान 2- जन्तु विज्ञान 3- वनस्पति विज्ञान 4- कोरकोलम/पर्यावरण

वर्ष 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू हुई है जिसमें वार्षिक परीक्षा की जगह पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। जिसमें विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति पर अधिक बल दिया गया है।

शुल्क संरचना

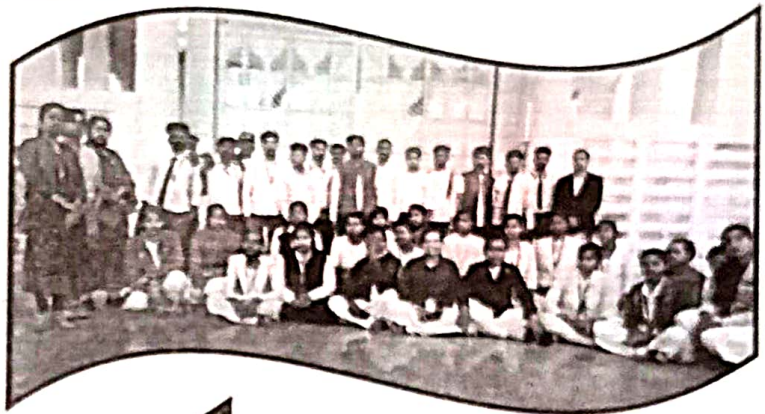
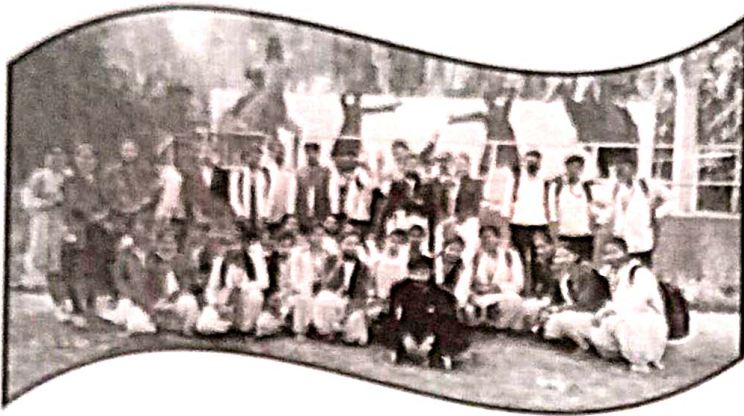
बी.ए. 4000/- रुपये प्रति सेमेस्टर

बी.एससी. (मैथ) 6000/- प्रति सेमेस्टर

बी.एससी. (बायो) 6000/- प्रति सेमेस्टर

नोट: छात्रवृत्ति व शुल्क प्रति पूर्ति शासन द्वारा निर्धारित सभी बच्चों को दिलाने का प्रयास किया जाता है।

कौशल विकास के तहत अनेक उपयोगी डिप्लोमा समय-समय पर बच्चों को कराये जाते हैं, ताकि वह जीवन यापन आसानी से करा सके।





कृष्णा महाविद्यालय-मोहम्मदी (खीरी)

कोड-3033

लखनऊ विश्व विद्यालय से सम्बद्ध
बरवर रोड, मोहम्मदी-लखीमपुर (खीरी)
(कला एवं विज्ञान संकाय)

फोटो

शुल्क रसीद संख्या.....दिनांक.....

छात्र/छात्रा पंजिका संख्या.....दिनांक.....

नोट- सम्पूर्ण प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थिनी को स्वयं ही शुद्ध तथा स्वच्छ रूप में भरना चाहिए।

प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम (हिन्दी में) हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार.....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

આધાર નં.

[illegible]

कक्षा में प्रवेश चाहते/चाहती है :- बी०ए० भाग :- प्रथम/द्वितीय/तृतीय

बी०एससी० भाग :- प्रथम/द्वितीय/तृतीय

चयनित विषय (गोला काला करें) :- ☐ 1. हिन्दी साहित्य ☐ 2. अंग्रेजी साहित्य ☐ 3. संस्कृत ☐ 4. समाजशास्त्र
(बी0ए0) ☐ 5. शिक्षा शास्त्र ☐ 6. चित्रकला ☐ 7. गृह विज्ञान ☐ 8. इतिहास ☐ 9. अर्थशास्त्र
☐ 10. राजनीति विज्ञान ☐ 11. कोरकोलम/पर्यावरण

(बी0एससी0-मैथ) ○ 1. भौतिक विज्ञान ○ गणित ○ रसायन विज्ञान ○ कोरकोलम/पर्यावरण

(बी०एससी०-बायो) ○ 1. रसायन विज्ञान ○ 2. जन्तु विज्ञान ○ 3. वनस्पति विज्ञान ○ कोरकोलम/पर्यावरण

नोट-हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य व संस्कृत तीनों विषय में एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं।

पिता का नाम श्रीमोबाइल नं०.....

माता का नाम श्रीमती

अभिभावक/पति का नाम

जन्मतिथि (अंकों में).....(शब्दों में).....

1/7/202 को आयु वर्ष माह दिन अभिभावक की वार्षिक आय.....

जाति (सामान्य/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति.....उपजाति.....धर्म.....राष्ट्रीयता.....

(यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें।)

स्थायी पता मोहल्ला/ग्राम.....पोस्ट.....

थाना.....तहसील.....

जिला.....मोबाइल नं०.....

प्रवेश-रिल्लप

नाम.....पिता/पति का नाम.....

कक्षा बी.ए./बी.एससी. प्रथम/द्वितीय/तृतीय.....विषय.....

हस्ताक्षर लिपिक

पूरा परीक्षाओं का विवरण

परीक्षा का नाम	अनुक्रमांक	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	उत्तीर्ण श्रेणी	संस्थागत व्यक्तिगत	विद्यालय/केन्द्र का नाम	प्रतिशत %
हाईस्कूल									
इण्टरमीडिएट									
स्नातक प्रथम वर्ष									
स्नातक द्वितीय वर्ष									
स्नातक तृतीय वर्ष									

यदि छात्र/छात्राएं बाहर के रहने वाले/वाली है

स्थानीय अभिभावक का नाम

तो क्या नगर में रहेंगे/रहेंगी या प्रतिदिन बाहर से

पता.....

आयेंगे/आयेंगी। यदि हां तो स्थानीय अभिभावक का नाम व पता.....

प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

सत्यापित	मूल प्रमाण पत्र
1. हाईस्कूल परीक्षा का अंक पत्र व प्रमाण पत्र की 3 फोटोकॉपी	1. अन्तिम विद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र
2. इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र 3 फोटो कॉपी	2. अन्तिम विद्यालय की स्थानान्तरण प्रमाणपत्र
3. दो फोटो पासपोर्ट साइज के	

प्रवेश समिति के हस्ताक्षर

जांचकर्ता लिपिक के हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर

अनुबन्ध पत्र

मैं कि (का नाम).....

पुत्र/पुत्री (पिता का नाम).....

निवास ग्राम/मोहल्ला.....पोस्ट.....

कि मैं किसी आवांछित गतिविधियों लिप्त पाया जाऊं तो मुझे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाये।

मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अपने पाल्य के कथन से सहमत हूँ।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

दिनांक

विशेष निर्देश (अवश्य पढ़ें)

- 1) हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत तीनों साहित्य एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं।
- 2) विषयों का एक बार चयन कर लेने पर प्रवेश उपरान्त विषय परिवर्तन नहीं होगा।
- 3) परिचय पत्र मिलने के उपरांत छात्र/छात्राएँ प्रवेश सिलप दिखाकर पुस्तकालय में अपना पंजीकरण तत्काल करा लें।
- 4) परीक्षा आवेदन-पत्र (Examination Form) 5 अगस्त से 15 सितम्बर तक भरे जायेंगे।



आवश्यक निर्देश व सूचनाएं

- ✍ प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करने से पूर्व प्रवेशार्थी निम्न बिन्दुओं की जाँच कर लें।
- ✍ आवेदन-पत्र की सभी प्रवृष्टियाँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये तथा उसके पृष्ठ भाग पर घोषणाओं के नीचे प्रवेशार्थी तथा उसके पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिये।
- ✍ आवेदन पत्र के साथ वांछित अंक-पत्रों व अन्य प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित या स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए।
- ✍ प्रवेशार्थी भरा हुआ आवेदन-पत्र संलग्नों सहित नियत दिनांक पर कार्यालय में जमा कर उसकी पावती प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।
- ✍ प्रवेश प्रथम आगत के आधार पर नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्मिलित प्रवेशार्थियों को सम्बन्धित प्रवेश समिति या विभागाध्यक्ष के समक्ष अंक-पत्रों व प्रमाण-पत्रों सहित जाँच हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। प्रवेशार्थी अपने सभी मूल अंक-पत्रों व प्रमाण-पत्रों व उनकी एक-एक छायाप्रतियाँ सहित उपस्थित हों।
- ✍ टी.सी., चरित्र प्रमाण-पत्र, जाँच के समय ही मूल रूप से जमा कर लिये जायेंगे इसके बाद ही प्रवेशार्थी के आवेदन-पत्र को अग्रसारित किया जायेगा।
- ✍ जाँच के बाद योग्य पाये गये प्रवेशार्थी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रवेश की अन्तिम तिथि से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर दें। शुल्क जमा करते समय पुस्तकालय कार्ड व परिचय-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
- ✍ नियमावली के किसी भी अंश को, किसी भी समय आवश्यकतानुसार संशोधित व परिवर्तित किया जा सकता है जिसकी सूचना यथासमय सूचना पट पर लगायी जायेगी।
- ✍ प्राचार्य द्वारा समय-समय पर लागू किये गये सभी नियमों का छात्र व छात्राओं द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।
- ✍ नियमों की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होगी।
- ✍ मा. सर्वोच्च न्यायालय व राघवन कमेटी के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के आधार पर महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। यदि कोई छात्र-छात्रा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसका तत्काल प्रभाव से निष्कासन कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ✍ कालेज विद्या का मन्दिर है। इसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व है कि यह स्वच्छ रहे। कालेज परिसर में पान मसाला, तम्बाकू का सेवन व धूम्रपान करना वर्जित है। परिसर में दीवारों पर थूकना, दीवारों पर लिखना, परिसर को गंदा करना संज्ञेय अपराध माना जायेगा। प्रदूषण फैलाने वाले विद्यार्थियों को दण्डित किया जायेगा जिसमें भारी अर्थदण्ड, निलम्बन या निष्कासन भी हो सकता है।

प्राचार्य

मूल्य Rs. 200/- मात्र

मिश्रा प्रिन्टर्स मोहम्मदी मो. 6306660116